M/s. ITC Ltd., and M/s. NTC Ltd. for evasion of Central Excise duty. Out of these cases the total amount recovered from 1985 till date is approximately Rs. 19 crores.

Terms and Conditions for Agricultural Loans

1662. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the terms and conditions attached to various agricultural loans advanced to the farmers by the nationalised and other banks in the country along with the Statewise figures of such loan during each of the last three years and so far during the current year; and

(b) what are the Statewise amount of debt to be recovered by the banks from the farmers to whom loans have been advanced?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent possible.

Export Commitments in Food Processing

@1663. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state what are the names of the companies which have been given export commitments in food processing, the quantity and value of exports and the names of items exported during the last ten years?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): Export obligations are imposed on all Duty Free Licences/Import-Export Pass Books. Besides, export obligations are being imposed by Administrative Ministries/Sponsoring Authorities at the time of grant of Letters of Intent/Industrial Licences/Foreign Collaboration Approvals, etc. and also in certain cases on Capital Goods Licences. CCI&E is monitoring the export obligation on the above licences. Separate data industry-wise is not maintained.

Imposition of Farm Tax to Plug Resource Crunch

1664. SHRI DIPEN GHOSH:

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:

SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) how Government plan to plug the resource crunch; and

(b) whether imposing of farm tax is one of the steps in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) Governmtnt's strategy in this regard is already outlined in the Budget Speech for 1988-89.

(b) There is no proposal under consideration of Government to impose a farm tax.

उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के कार्यके लिए लगाए गए कर्मचारियों की छटनी

1665. श्री **प्रमोद महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 1981 की जनगणना के कार्य के लिये लगाए गए कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है और यदि हां, तो इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार को क्या अनुदेश जारी किये गये है और उनका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को किन्हीं अन्य रोजगारों तथा सेवाओं में आमेलित

@Previously Unstarred Question 1329, transferred from the 5th August, 1988.

कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो उन्हें उचित अन्तरित राहत प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे है

(घ) क्या इन सभी कर्मचारियों को 1991 के दौरान जनगणना विभाग में उनके वेतनमानों के आधार पर स्थायी रूप से पुन: नियुक्त कर दिया जाएगा और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 ऐसे कर्मचारियों की छंटनी की गई थी ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को छटनी किए गए कर्मचारियों को उच्चतम अग्रता देकर और विशेष रूप से विचार करके संभव सीमा तक आयु में छूट देकर 1981 की जनगणना में छंटनी किए गए कर्मचारियों को अग्रता के आधार पर समाविष्ट करने के लिये उचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 12.2.1982 के अपने आदेश संख्या 41/2 67-कार्मिक-2 के तहत जनगणना संगठन में छंटनी किए गए कमचारियों को राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में भर्ती करने के लिये उनके द्वारा की गई लगातार सेवा की अवधि के अतिरिक्त तीन वर्ष तक आयु में छूट दी है शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी गई है । ये आदेश तीन वर्षों की अवधि के लिये वैध थे । इनके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 9.5.1984 के अपने आदेश संख्या 6 211974-कार्मिक-2 के तहत ये निर्देश जारी किये हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित श्रेणियों के अलावा अन्य वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों में भर्ती के लिये यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो रिक्तियों को शारीरिक रूप से अपंग सफल उम्मीदवारों में से भरी जाएं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां अब भी नहीं भरी गई हों तो वे 1981 की जनगणना के छंटनी किए गए सफल कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के 'ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ' के कर्मचारियों में से भरी जा सकती है । ये आदेश ये आदेश दिसम्बर, 1986 तक वैध थे ।

(ग) किसी वैकल्पिक रोजगार में जनगणना के छटनी किए गए कर्मचारियों के समावेश का प्रबोधन करना संभव नहीं है । अन्तरिम राहत की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान । प्राथमिक जनगणना सारांश बनाने जनगणना सारणियों का सम्पादन करने तथा उनको कूटबद्ध करने का कार्य एक समय बाधित कार्य है और इससे दीर्घ कालीन रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता ।

Fencing on Indo-Pak Border

1666. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what progress has been made in regard to the work relating to barbed wire fencing on Indo-Pak border and by when it will be completed; and

(b) whether there is any delay in completing this work within the stipulated period; if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Barbed wire fencing has been laid in a stretch of about 64.80 Kms. on the Indo-Pak border and the work is expected to be completed by the end of August, 1988.

(b) The C.P.W.D., which is executing the work, has indicated that because of